संख्या-42/2023/।/293704/2023-71-2002(001)/5/2022

प्रेषक,

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

विषय:-केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तानर स्थित नवीन परिसर में इन्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/790, दिनांक 28 फरवरी, 2023 का कृपया का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-15/2023/31/71-2-2023/001-71-2002-001-5-2022, दिनांक 14.02.2023 डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ मे यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु एन0एम0सी0 के मानकानुसार इन्डोर स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 994.00 लाख (रू0 नौ करोड चौरानवे लाख मात्र) तथा राज्यांश की धनराशि रू0 662.67 लाख (रू0 छः करोड बासठ लाख सडसठ हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1656.67 लाख अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एमई/बजट/ 2022-23/790, दिनांक 28.02.2023 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निर्गत शासनादेश के नियम व शर्ते/प्रतिबंधों के बिन्दु संख्या-01 पर उल्लिखित है कि अवमुक्त धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या 40601009117 भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ के खाते मे अंतरित किया जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलेंन्स एकाउन्ट में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था का कोई जीरो बैलेंन्स एकाउन्ट उपलब्ध नही है। निदेशक डा0 आर0एम0एल0, लखनऊ का जीरो बैलेन्स एकाउन्ट महानिदेशक स्तर से खोला गया है जो कि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर मैप भी है। उक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित धनराशि निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के जीरो वैलेन्स अकाउन्ट में हस्तांतरित करने हेतु संशोधित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 14.02.2023 के नियम एवं शर्ते/प्रतिबंधों के उपप्रस्तर-1 मे अंकित-''अवमुक्त की जा रही धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते मे अंतरित किया जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलेन्स एकाउन्ट में महानिदेशक, चिकित्सा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा'' के स्थान पर "अवमुक्त की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 994.00 लाख (रू0 नौ करोड चौरानवे लाख मात्र) तथा राज्यांश की धनराशि रू0 662.67 लाख (रू0 छः करोड बासठ लाख सडसठ हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1656.67 लाख, जिसे निदेशक डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के जीरो बैलेन्स एकाउन्ट में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा" पढा जाय। शासनादेश दिनांक 14.02.2023 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 14.02.2023 संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या - U.14017/31 /2016-ME-II Pt (2), दिनांक 21 सितम्बर 2022 के क्रम में सूचनार्थ।
6. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थाथन, लखनऊ।
11. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।